

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 2660/ 14-1 बिजनौर, दिनांक, फरवरी, 13-2018।  
सेवा में,

डा० नरेश कुमार वर्मा,  
लीला फार्म, (बैंकट हॉल) निकट रूटस इन्टरनेशनल स्कूल  
नूरपुर रोड, बिजनौर।

विषय :- मै० लीला फार्म हाऊस (बैंकट हॉल) द्वारा ग्राम महगाली तहसील सदर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 524, 527, 527, 534 बिजनौर-नूरपुर मार्ग किमी० 6 आर०एच०एस० में 0.0465 हे०, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग, प्रवेश एवं निकास मार्ग में बाधक दो वृक्ष यूकेलिप्टस के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ०प्र० लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या 8बी०/यू०पी०/०6/33/2016/एफ०सी०/785 दिनांक 19-01-2018।

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० एफ०एन० सं०-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 व एफ०एन० सं०-11-09/98 एफसी, दिनांक 21-08-2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में मै० लीला फार्म हाऊस (बैंकट हॉल) द्वारा ग्राम महगाली तहसील सदर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 524, 527, 527, 534 बिजनौर-नूरपुर मार्ग किमी० 6 आर०एच०एस० में 0.0465 हे०, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग, प्रवेश एवं निकास मार्ग में बाधक 02 वृक्ष यूकेलिप्टस के पातन की अनुमति हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तों की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षों तक रख-रखाव सहित रू० 1,02,600.00 (रू० एक लाख दो हजार छः सौ मात्र)।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। प्रभावित वन भूमि 0.0465 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 29,109.00 (रू० उनतिस हजार एक सौ नौ मात्र)।  
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।  
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया



जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. राज्य सरकार प्रकरण में संशोधित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02-फरवरी 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी कराने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(एम0 सेम्मारन)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी बिजनौर।

(एम0 सेम्मारन)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।